[Shri K.C. Pant]

does have a duty to protect all the States against external aggression and internal disturbance under article 355 to which reference was made. Now that I have clarified the difference between emergency powers and these powers, I must say that though these are not emergency powers, the obligation on the part of the Centre to protect the States against external aggression and internal disturbance cannot be denied, and this obligation exists. Now, it is for the Centre to take action. Would the House prefer that in each case where there is a danger of this kind of disturbance, immediately an emergency should be declared in the whole country, even if the disturbance is confined only to Mizoram or Nagaland or some other State? Is it the intention, or is it the intention that immediately, when such a situation arises, article 356 should be invoked and President's rule should be declared? Is that democracy? Or, would it not be more democratic and more proper to let the State function and to maintain law and order, take a limited action to deal with a limited situation?

SHRI SAMAR GUHA: What is the purpose of your security force, when the Cr. P.C., and the armed forces are there? Are they not enough to deal with civil disturbance? One can understand extraoridnary aggression.

MR. CHAIRMAN : You had your say. Let him continue.

SHRI K. C. PANT : He has had his say and he again is confusing the national security question with the law and public order question. The questions of law and order and national security are different. These are nationalsecurity questions in which the Centre is certainly directly interested and directly responsible. He referred to foreign links and also referred to the borders of the country. The Centre does have a lot of information directly about the situation prevailing along the borders and about foreign links of many of the elements operating along the borders. Occasions can arise when the Centre needs to take action and immediately respond to a given situation, then the Centre needs those powers. What is wrong with the Centre having those powers? It is absolutely correct that in certain situations the Centre should be able to exercise those powers and not watch helplessly while the situation deteriorates. I am quite confident that the question of autonomy sought to be raised is completely misplaced because in matters relating to the security of the country it will be the endeavour of the Central Government --I am sure it will be the attitude of the State Governments also—to co-operate with the Centre so that we can together meet any challenge that might arise. There is no question of any curtailment of State autonomy or any such thing. Wherever national security is involved just as I appeal to the Members in the House, I am quite sure that the States and the Centre are all one in matters concerning national security.

There is really no other point left. I should like to end by quoting Mr. Haokip who said that this measure was in the interest of and in order to safeguard the people. This is the essence of the matter and there could be no better authority to make a statement in the House than the person who comes from that region which is unfortunately still being subject to the kind of disturbances against which this measure is a kind of shield.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

14.28 *Hrs.*

AIRCRAFT (AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF TOURISM AND CIVIL AVIATION (DR. KARAN SINGH): I beg to move*.

"That the Bill further to amend the Aircraft Act, 1934 be taken into consideration."

Since the last ten or 12 years when the Bill was last amended there have been a number of important developments in aviation technology and there has been a tremendous growth in the whole quantum and quality of planes that are operating and therefore it was necessary to bring this legislation up to date. There are three or

*Moved with the recommendation of the President.

four points that this Bill seeks to cover.

Firstly, vultures and other big birds in the vicinity of aerodromes are a hazard to aviation and these birds very often collect there because of slaughter houses, rubbish and other things that are in the vicinity of the aerodromes. It is therefore sought to take power to prohibit by rules the slaughtering of animals or dumping of rubbish in the vicinity of aerodromes.

Secondly there is the question of unclaimed property found in the aerodromes. Under the rules at present, this property has to be handed over to the police, who dispose of it according to the Indian Police Act. Very often foreigners who come to this country leave something, say, a camera and they have to rush from place to place looking to the police headquarters and so on, which means a lot of trouble. We thought it would be useful to empower the Central Government to make rules so that the property could be kept with the aerodrome officer himself for a reasonable time and then to be disposed of.

Very high structures in the vicinity of aerodromes can be major aviation hazards and we feel that there should be power with the Central Government which is responsible for aviation to regulate and prohibit the construction of buildings which will be aviation hazards, because, as you know, vast planes are now flying. Already jumbos have 450 to 500 passengers. The supersonic age is upon us, and we cannot take this risk. At present there is no legislation whereby the Government of India can directly take the action that is required. It is very often a long drawn out process and, therefore, power is now sought to be taken to prohibit buildings.

These are the main points. There are certain other minor matters which have come to light in the course of these twelve years, and I am taking this opportunity to incorporate them also in this Bill, so that we can have an Aircraft Act that is as modern as possible.

I would commend the Bill to the House.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Aircraft Act, 1934, be taken into consideration."

SHRI DINESH JOARDER (Malda): I have nothing in particular to say against the proposed amendments to prevent vultures and other birds that come in the vicinity of the aerodromes and also to prevent hazards to aircraft operation resulting from the construction of high buildings and structures in the vicinity of aerodromes and regarding payment of compensation to the affected persons. But as regards the unclaimed properties found in aerodromes and the premises under the control of civil aviation, sometimes these unclaimed properties also include valuable properties and smuggled goods. Generally, airports and naval ports are the big places of international smuggling. The procedure for the disposal of the smuggled goods in the airports is sometimes very fishy, and favourite dealers and agents of the airport authority take advantage and get these smuggled goods at cheaper rates. This encourages international smuggling in airports and introduces malpractices and corruption in the administration. But there is no effective provision incorporated in the Bill to deal with valuable properties and smuggled goods, particularly in the matter of their disposal. So, I would request the hon. Minister to make some further amendments in the Bill so that these smuggled goods can be handled effectively, so that if there be any corruption or malpractices in the administration in the airports, that may also be checked.

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : सभापति महोदया, यह बिल जो सदन के अन्दर पेश किया गया है, आम तौर पर स्वागत के योग्य है, हालांकि मैं नहीं समझता हूं कि गिद्ध और कौवों को कैसे इस बिल के जरिये रोका जायगा। इस बिल के बनाने के बाद आप कैसे गिद्ध और कौवों को रोक पायेंगे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। जहां तक इस में सफाई की बात है, वह ठीक है।

मैं मंत्री महोदय से चाहता हूं कि आप कोई काम्प्रीहेन्सिव बिल लायें, जिसमें हवाई जहाजों की फ्लाइट को भी रेग्यूलेट

[श्री सरजू पांडे]

किया जा सके। कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी हवाई अड्डे पर पहुंचता है और वहा उसे मालूम होता है कि प्लेन 6 घन्टे लेट है। कभी कभी तो तीन-तीन दिन लेट हो जाता है। इस तरह से जो आदमी जल्दी सफर करना चाहता है, नतीजा यह होता है कि वह ट्रेन से भी लेट हो जाता है। इस से हमारे मुल्क का बहुत नुक्सान होता है, लोग ज्यादा सफर नही कर पाते है और खर्च भी बहुत ज्यादा होता है, उन को अच्छे एअर-कन्डीशन होटलो मे रखना पड़ता है।

आज कल जब से हवाई जहाज भगाये जाने लगे हैं, इस से तलाशी बहुत ज्यादा होने लगी है, एम०पीज० को भी इस से एक्जैम्पट नही किया है। मैं नही समझता कि कोई एम०पी० कैसे हवाई जहाज को भगा कर ले जायेगा। कहने पर भी वे लोग नही मानते है और कहते है कि हम क्या करे हमारी मजबूरी है। नतीजा यह होता है कि बहुत मारे लोगों को खामखाह बिला-वजह परेशान किया जाता है। इस लिये मैं चाहता हू कि कोई ऐसी डायरैक्शन दी जाये कि जो लोक-सभा का आइडेन्टिटी कार्ड शो कर दे उन को छोड दिया जाये और खाम-खाह परेशान न किया जाये।

खाने-पीने के मामले मे भी थोडी बहुत इम्प्रूवमेन्ट की जाय...

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेन्ट की जरूरत है।

श्री सरजू पांडे : हम लोग रेलवे की शिकायत करते हैं। इसलिये इस तरफ ध्यान दिया जाये।

आप जो छोटे-छोटे अमेण्डमेन्ट लाते हैं, यह ठीक नही है। आप कोई काम्प्री-हेन्सिव बिल लायें, ताकि उन दिक्कतो को दूर किया जा सके और इस सर्विस को ठीक तरह से चलाया जा सके। इस में फारेनर्स ट्रेवल करते हैं, दूसरी जगहो की सर्विसिज ज्यादा अच्छी मालूम होती है, इस लिये इन को ठीक करने के लिये काम्प्रीहेन्सिव बिल आप को लाना चाहिये।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, यह ठीक ही है। अगर आप गिद्ध-कौवो को रोक सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं नही समझता कि आप इस से रोक सकेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (झुन्झनु) सभापति महोदया, यह जो बिल पेश किया गया है, मैं इस का स्वागत करता हू, लेकिन एक बात की ओर माननीय मत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू। आप ने एरोड्रोम के आसपास 20 किलोमीटर के लिये प्रावधान रखा है, जहा बिल्डिगें और पेड नही बनाये जा सकेंगे। मेरी समझ मे यह बात नही आ रही है कि यह किम हिसाब से रखा है, इस का साइन्टिफिक बैसिज क्या है? कितने एरिये में जहाज किम स्लाप से नीचे आयेगा ? जहा तक मैं समझता हू—5-7 किलोमीटर से ज्यादा जरूरत नही है। आज के एरोड्राम्ज शहर के अन्दर आ गये है, 20 किलोमीटर रखने से तो शायद दिल्ली में कोई भी मकान ऊंचा नही बनाया जा सकता। बम्बई और कलकत्ता की भी यही हालत है। मेरे ख्याल मे यह रेडियस बहुत ज्यादा है।

पेडो को ले लीजिये—पेड़ कई प्रकार के होते है, जिन्हें किसान अपने खेतो मे उगाते हैं, जो प्राफिटेबिल भी होते हैं, कामर्सियली भी उन का महत्व होता है। अब अगर 20 किलोमीटर के क्षेत्र में पेड़ उगने नही देंगे तो सवाल यह पैदा होता है किस हाइट के उगने नही देंगे ? इस लिए

भी 20 किलोमीटर का जो एरिया आपने रखा है, वह बहुत ज्यादा है, इसे आप को चेन्ज करना पड़ेगा। आप इस के बारे में एक्सपर्ट से पूछ कर हमें बतायें कि एरोड्रोम के पास कितनी दूरी तक हवाई जहाज कितना नीचे आता है, उस का स्लोप कितना होता है, ताकि हमारा सन्तोष हो सके।

*SHRI T. S. LAKSHMANAN (Sriperumbudur): Madam Chairman, I rise to support the Aircraft Amendment Bill and to say a few words on the various provisions in the Bill.

We are all well aware of the various strides the aviation industry has made in the last few years In fact, our country itself has acquired jumbo jets for our air services. This being so, I regret that this measure has been brought before the House only now I feel that such a Bill ought to have come before the House much earlier and the delay avoided Air travel is not without risks even now. Therefore, to allow slaughter houses and refuse dumps in the vicinity of the aerodromes leading to vultures and other large birds hovering around the aerodromes only heightens the risks. I, therefore, commend the provision in the Bill which prohibits these. It is needless for me to point out that human lives are more valuable and all steps must be taken to protect them.

Madam, my regret is that only after 25 years of Independence this Bill has been brought. Why this delay?

The Bill also provides for prohibition of tall buildings which constantly pose hazards to aviation. This is a welcome provision. But when such wholesome provisions are coming up before the House after long and avoidable delays one suspects the efficiency with which the Central Government attends to its duties.

Cumbersome process and needless inconvenience are involved today in recovering the lost property by the air craft passengers. This Bill will go a long way to mitigate this difficulty.

Before I conclude, Madam, I would like to ask the hon. Minister as to when he became a member of the International Civil Aviation Convention and also why the Government have taken so much time to provide for rule making powers. I hope the hon. Minister would clarify the position.

श्री रुद्र प्रताप सिंह (बाराबंकी): सभानेत्री जी, मै आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे इस संशोधन विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मै माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हमारे एयरक्रेफ्ट्स का न केवल अपने राष्ट्र के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान है वरन् वह अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भी एक बहुत ही सराहनीय सेवा कर रहे हैं। मुझको यू०एस०ए०, यू०के०, फ्रांस, इटली, स्वीटजरलैण्ड, जर्मनी—सभी देशो में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, विश्व में जो विभिन्न एयरक्रैफ्ट्स हैं उनमें सफर करने का अवसर मिला है, मै इस बात की सराहना करना चाहता हू कि हमारे एयरक्राफ्ट्स हमारे मन्त्री महोदय के कुशल नेतृत्व और कुशल सचालन मे विश्व मे एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते है। मत्री महोदय ने यहां पर जो सशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है मै उसका हृदय से स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस बात का सुझाव देना चाहता हूं कि यदि सम्भव हो तो देश में जो अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितिया है उनको दृष्टि में रखते हुए और साथ ही देश में जो सुरक्षा की परिस्थितिया है उन पर विचार करते हुए इस बात की भी व्यवस्था कर दी जाये कि जो हमारे देश के एयरपोर्ट्स हैं उनमें किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अपने देश का रहने वाला हो और चाहे विदेशों से आने वाले लोग हों उनके द्वारा वहां पर चित्र लिया जाना कानूनन रोक दिया जाना चाहिए। मै समझता हूं हमारे इस सुझाव पर मंत्री महोदय अवश्य विचार करेंगे।

*The original speech were delivered in Tamil.

[श्री रुद्र प्रताप सिंह]

इन शब्दों के साथ मैं इस ऐयरक्राफ्ट संशोधन विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : सभापति महोदया, एयरक्राफ्ट अमेन्डमेन्ट बिल जो पहले 1971 में लाना था अब 1972 में लाया गया है। इसमे लिखा हुआ है :

'Further to amend the Aircraft Act, 1934'

पिछले 38 साल से इस शासन की नीद खुली नही। 1934 से 1972 तक यह जो गिद्ध थे या जो बड़ी बिल्डिग थी वह इनकी नजर मे नही आई। रामायण में हमने पढ़ा है कि कुभकरण सोता था तो 6 महीने के बाद उठता था लेकिन यह शासन तो 38 साल तक सोता ही रहा। यह बिल जो यहा पर लाया गया है उसका उद्देश्य तो अच्छा है लेकिन मैं इसका समर्थन इसलिए नही कर रहा हूं क्योंकि यह इनकंप्लीट है। इन्होंने कहा है :

"the prohibition of slaughtering and flaying of animals and of depositing rubbish, filth and other polluted and obnoxious matter within a radius of ten kilometres."

लेकिन गिद्ध जो है वह 10 किलोमीटर से आगे नही दौड़ते, ऐसा आपसे किसने कहा है ? आपने स्टेटमेन्ट में कहा है :

"Vultures and other large birds in the vicinity of aerodromes have been a source of considerable damage to costly engines and a grave risk to aircraft operations. Slaughtering animals and dumping rubbish in the vicinity of aerodromes attract birds and thus constitute a potential danger."

स्लाटर और रबिश की वजह से गिद्ध आते है लेकिन दस मील के बाद वह नहीं दौड़ सकते ऐसा किस साइंटिस्ट ने कहा है ? फिर आपने कहा है कि 20 किलोमीटर तक कोई ऊची बिल्डिग या ऊंचे झाड़ और पेड़ नही होने चाहिए। लेकिन बिल्डिग कितनी ऊंची नहीं बननी चाहिए और पेड़ कितने ऊचे नही होने चाहिए ऐसा आपने कुछ लिखा नही है। इसमें आपने लिखा है:

"direct that no building or structure shall be constructed or erected, or no tree shall be planted, on any land within such radius, not exceeding twenty kilometres from the aerodrome reference point, as may be specified in the notifications"

इसमें आपने क्लियर क्यों नही किया कि बिल्डिग इतनी ऊची नही होनी चाहिए। आपने लिखा है :

"height as may be specified in the notification."

इसलिए मै कहता हू यह इनकप्लीट है। इससे लोगों को विभ्रम पैदा होगा। जिन्होंने बिल्डिग बनाली है उसके लिए आपने प्रोसीजर दिया है। आपने कहा है·

"where no such agreement can be reached, the Central Government shall appoint as arbitrator a person who is or has been qualified for appointment as a Judge of a High Court,"

लेकिन इसमें आपने मार्केट वैल्यू शब्द किस दिया है।

25 वें संविधान संशोधन विधेयक में आपने कम्पेन्सेशन की जगह मनी लिख दिया है। इसलिए कम्पेन्सेशन के दो अर्थ निकल सकते है।

Either the damages or the market value according to the value of the property.

जिन्होंने इस बिल को बनाया है उन्होंने मार्केट वैल्यू शब्द को बिल्कुल टाल दिया

है। मैं नहीं समझता इस प्रकार इस बिल में लापरवाही करने के क्या कारण हैं। यदि वास्तव में एरोड्रोम की परिस्थितियों को बदलना है और आप समझते हैं कि वल्चर्स और रबिश जो वहां आती है उससे खतरा है तो उसके बारे में कोई विरोध नहीं है लेकिन एक प्रकार से यह जो इनडेफिनिट कानून आप बना रहे हैं वह ठीक नहीं है। आपने इसमें सभी बातों को स्पष्ट क्यों नहीं किया है। आप ने कहा है कि म्युनिसिपैलिटी के रूल्स ऐसे हैं:

> "The present procedure of regulating construction of buildings, etc., through municipal bye-laws is cumbersome and is often ineffective. It is proposed to take power to prohibit completely the construction of buildings, erection of structures and planting of trees in the vicinity of aerodromes...."

That is all right. But what about those which are already constructed ?

जो आल्रेडी बने हैं उन को आप हटाना चाहते हैं। मैं कहता हूं इस से दुनिया में तहलका मच जायगा। दस बारह साल पहले जब बिल्डिंग बनी थी तब शासन क्यों सो गया था? इस बात की जवाबदेही किस पर आएगी? मंत्री महोदय बड़े प्रोग्रेसिव आईडियाज के है। वह महाराजा भी रहे है। मै उन से कहूंगा कि जो बिल्डिंग्स बन गई है उन को तोड़ डालना और दूसरी तरफ हाईट भी नहीं बताना कहां तक उचित है? दूसरी बात यह कि मंत्री महोदय को यह भी बताना चाहिए था कि इन बातो से कितने ऐक्सीडेंट्स हुए? यानी बडी बिल्डिंग होने से, पेड़ होने से या रबिश और वल्चर्स के होने से साल में कितने ऐक्सीडेंट्स हुए? इस की कोई फिगर्स या स्टेटिस्टिक्स नहीं बताई गई। ऐसी स्थिति में आप बिल्डिंग्स को तोड़ डालने का कानून क्यों लाते है? आप स्पेसिफिकली हाउस को बताएं कि कितनी ऊंचाई तक बिल्डिंग होगी या कितने ऊँचे झाड़ होंगे? ताकि हाउस को भी स्पष्ट हो सके कि सरकार का क्या इरादा है? इस विधेयक का जो तत्व है उस पर तो कोई विरोध नहीं है लेकिन जिस प्रकार से आप कानून बना रहे हैं वह स्पेसिफिक न होने से हम इसका विरोध कर रहे है।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगांव): सभानेत्री जी, जो संशोधन बिल डा० कर्णसिंह जी ने उपस्थित किया है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और वह इसलिए करता हूं कि मुझे अहसास है बाम्बे एयरपोर्ट की स्थिति को देखने और उससे गुजरने का। मैं समझता हूं बहुत पहले ही इस प्रकार का संशोधन होना चाहिए था। बम्बई संसार के अच्छे नगरों में गिना जाता है। सम्भवत: वह संसार में चौथे या पांचवें नम्बर पर आता है। इसी प्रकार से कलकत्ता भी है। एयरपोर्ट अच्छा हो, एफिशिएन्ट हो, उसकी बिल्डिंग अच्छी हो, वहां पर सारी सुविधायें हों, वह देखने में भी अच्छा हो, उसका वातावरण और सराऊंडिंग भी अच्छी हो—जब इन सभी बातों को लेकर हम देखते है तो बंबई के एयरपोर्ट को हम गन्दे से गन्दा पाते हैं। हाईवे बन गया है लेकिन उसके कारण तो कुछ हुआ नहीं। एक पुलिया जो है वहां पानी भर जाता है और उससे इधर की गाड़ियां इधर और उधर की गाड़ियां उधर रुक जाती हैं। जब हम वल्चर्स की बात कहते हैं जो एक पक्षी है उसको हम दूर रखने की बात करते हैं और हम कहते हैं कि स्लाटर हाउस को वहा से हटा दिया जाए तो वह एक स्वस्थ बात है लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि इसके अलावा भी कुछ करना है।

[श्री रामसहाय पांडे]

आपके नेतृत्व में अब बम्बई में कुछ सुधार हुआ है लेकिन दिल्ली में जो आपने किया उससे मालूम पड़ता है कि भारतवर्ष में कुछ ऐसी एयरपोर्टस की सुविधायें हैं, बिल्डिंगज की सुविधायें हैं जिन पर हमें थोड़ा कुछ गर्व हो सकता है । लेकिन बम्बई को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि जब एयर-पोर्ट बनाया गया था, बिल्डिंग बनाई गई थी तो कस्टम सेक्शन ही बनाना भूल गये इंजीनियर लोग, वहां कोई चमरी नहीं बनाई गई। थर्ड क्लास थर्ड रेट बिल्डिंग बनाई गई, मैटीरियल खराब, उसका लुक खराब, शक्ल खराब, सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं अब थोड़ा सा ठीक होना शुरू हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय कक्ष जो है वह ठीक हुआ है ।

बांद्रा में देखिये, वहां मयुनिसिपैलिटी से प्रतिवेदन किया गया कि यहां पर सभी लोग लोटा लेकर बैठते हैं, कोई लैट्रीन नहीं है, इस कारण से भी जानवर आते हैं, वहां लोटा परेड प्रदर्शन होता है वह भी बड़ी डिस्ग्रेसफुल बात है । वह इसलिए है कि वहां पर सारा स्लम कंसंट्रेटेड है। मुझे नहीं मालूम कि आप इसको कर सकेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आप जायेंगे तो वह कहेंगे पैसा नहीं है, प्लानिंग के पास जायेंगे तो कहेंगे लोकेशन नहीं है, अंत में घूम-फिरकर हम आपसे कह देते हैं । हम चाहते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधायें होनी चाहिए । आप टूरिस्ट्स के कस्टोडियन हैं, आप फारन एक्सचेंज अर्न करते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया बनिया कौन ? सबसे बढ़िया बनिया वह होगा जो यह देखे कि जल्दी फारन नेशनल आयें, जल्दी पैसा खर्च करें और जल्दी चले जायें । फ्रांस में आप देखिये, वह ह्यूमन सायकालाजी को माडर्न टाइम की अडेप्टिबि-लिटी को इतना कंसट्रेट करते हैं, देखते हैं कि कौन से ऐसे उपाय है जिनसे वह अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। यहां पर अगर धोखे से भी कोई आ जाए पहली बार तो वह क्या देखेगा कि गन्दी सराउंडिंग है, बदबू आती है और कोल्ड क्लाइमेट से कोई आयेगा तो उसके लिए कमरा एयरकंडीषन नहीं है । उसको लैंड करते ही यहां सफोकेशन होने लगता है।

कस्टम डिपार्टमेंट ऐसा है जैसे वल्चर हो, कोई सेंस आफ रिस्पांसिबिलिटी नहीं, कोई मुस्कराहट नहीं। आप वल्चर की बात करते हैं तो दूसरे वल्चर आपके कस्टम के अधिकारी हैं, वह समझते हैं कि सब चोर हैं। वह समझते हैं कि जो भी बाहर से आता है इसके पास रिवाल्वर भरी हुई है, गोल्ड भरा हुआ है, उसकी सर्च करते हैं । सर्च करने में भी एक सेंस आफ वैल्कम नहीं, स्वीट स्माइल नहीं, जैस्चर नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि कई वल्चरों को आपको ठीक करना पड़ेगा। कर्टसी, एटीट्यूड, स्वीट व्यवहार, मीठा व्यवहार, वेल्कम, स्वागत और कम से कम जो बैठने का स्थान हो वहां अच्छे सोफे, अच्छा फर्नीचर होना चाहिए साथ ही क्विक सर्विस होनी चाहिए। बक्सा खोला जा रहा है, उसमें कितना टाइम लगता है। मैं कहना चाहता हूं कि पांच मिनट में डिस्पोजल होना चाहिए । आप इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं । लेकिन जिस मिनिस्ट्री से कंसर्न हो, ज्यादा से ज्याद पैसा आपको मिलना चाहिए। आप इंटरनेशनल रिलेशन-शिप के लायजां हैं। आप दुनिया से संबंध जोड़ते हैं । कुछ ही घंटों में संपर्क आजकल दुनिया से हो जाता है, 8 घंटे में मास्को, 9 घंटे में फ्रांस दस घंटे में लंदन। आपके जरिये सारी कल्चरल लाइफ कुछ ही घंटों में आवागमन की सुविधाओं से आ गई हैं। अगर आप वल्चर, स्लाटर हाउस को रिमूव करते-करते 1980 तक भी कामयाब हो तो मैं अभी से एडवांस कंग्रेचुलेशंस दे दूंगा । आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो इंस्टालमेंट में मिलेंगे,

आप नहीं कर पायेंगे। इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट प्रायरिटी होनी चाहिए। मैं एक प्रश्न पूछकर बैठ जाना चाहता हूं। आप बताइये कि बाद्रा स्लाटर हाउस कब तक वहा से हटाकर भेज दिया जाएगा आप समय बता दीजिए। . . . . . (व्यवधान) । आपने दिल्ली में जैसी सुविधाएं दी हैं, उसी प्रकार कलकत्ता और बम्बई में भी एयरपोर्टों को ठीक करें और इनको बचाइये।

DR. KARAN SINGH: I am grateful to the hon Members for the valuable contributions they have made.

Shri Dinesh Joarder who is not here at the moment mentioned the question of smuggled goods at the international airports Our provision really refers to the unclaimed articles that are left by the transit passengers. The question of goods that are brought in or smuggled in or that are impounded by the Customs is really dealt with under the Customs Act which is administered by the Finance Ministry. I entirely agree with the hon. Member when he said that if there are malpractices or any weaknesses in the functioning of the Customs Act, it should be looked into. As far as we are concerned, we are anxious that the facilities should be improved and quickened as Shri Pandey said. But this provision which we have made with regard to unclaimed goods does not really deal with the customs matter. It deals with the things that are left in transit on the planes by passengers travelling

15.57 *Hrs.*

[SHRI K. N TIWARY *in the Chair*]

श्री सरजू पाडे ने कहा कि प्लेन्स समय पर चलने चाहिए। बडा अच्छा सुझाव है, जरूर चलने चाहिए। मुझे खेद है कि समय पर कभी कभी नही जाते। उसके कई कारण हैं, कुछ तो मेकैनिकल कारण हैं, कभी कभी हमारे जो कर्मचारी है उनकी भी कृपादृष्टि का अभाव होता है। मुझे आशा है कि ये लेट नही जायेंगे।

तलाशी का इन्होंने जिक्र किया। तलाशी तो मैं भी जब जाता हूं, तो मेरी भी होती है। मै हाउस मे यह कह रहा हू कि मै आज तक कभी नही उड़ा, पहले तलाशी करवाकर जाता हूं। इसीलिए कि कल को यह न कहे कि मंत्री महोदय की तलाशी नहीं होती और संसद सदस्यों की होती है। . . . .

श्री सरजू पांडे. मैने खुद अपनी आखों से देखा कि बहुगुणा जी की तलाशी नही हुई।

डा० कर्ण सिंह : मै अपनी बात कह रहा हू। इसलिए कि अगर हमने एक बार छूट देना शुरू किया तो फिर इसको दो, उसको दो, बड़ी दिक्कत होगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री जी की तालाशी हो या न हो, लेकिन उनके साथ जो उनका प्राइवेट सैक्रेट्री चलता है, उसकी तलाशी जरूर होनी चाहिए, मंत्री जी का सामान तो वह ले जाता है।

डा० कर्ण सिंह . प्राइवेट सेक्रेट्री की भी तलाशी होती है . . . . (व्यवधान)। वह तलाशी सेफ्टी से ताल्लुक रखती है आशा है कि ससद् सदस्य हाइजेकिंग नही करेंगे।

खाने-पीने का जहा तक प्रश्न है, सुविधाओ मे उन्नति होनी चाहिए। लेकिन इस बिल का उसके साथ कोई संबंध नही है। अधिक खाना भी नही चाहिए, थोड़ा सा कम खाना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : सवाल अधिक का नही, अच्छे का है।

डा० कर्ण सिंह : श्री शिवनाथ सिंह जी ने एक अच्छा प्रश्न उठाया कि बीस किलोमीटर

[डा० कर्ण सिंह]

हमने क्यो रखा है। उसका कारण यह है कि जो इंटरनेशनल सिविल एवियेशन आर्गनाइजेशन है, उन्होंने देखा है कि नये-नये प्लेन्स कौन से चलते हैं और सबसे बड़े जो प्लेन्स हैं उनको विचार में रखते हुए 20 किलोमीटर ठीक है। लेकिन यदि माननीय सदस्य पढ़ें तो इसमें स्पष्ट लिखा है—

> "In specifying the radius under clause (1) or clause (2) of sub-section (1) and in specifying the height of any buildings, structure or tree under the said clause, the Central Government shall have regard to:
>
> (a) the nature of the aircraft operated or intended to be operated from the aerodrome;
>
> (b) the international standards made and the recommended practices governing the aircraft.

हमारे देश में सत्तर ऐसे स्थान हैं जहां हमारे हवाई जहाज उतरते है। जरूरी नही है कि सब के लिए हम वही प्रतिबन्ध लगाएं। एक स्थान हो सकता है जहा केवल डी० सी० 3 या एव्रो उतरता है। वहा इतनी अधिक व्यवस्था करने की जरूरत नही है। लेकिन एक स्थान हो सकता है जहां जम्बो जैट उतरते हैं। वहा अधिक स्थान चाहिए। हवाई अड्डे की तरफ आते हुए यदि उनके लिए कोई भी चीज असुविधाजनक हो, चाहे वह बिल्डिंग हो या वृक्ष हो, आप मानेंगे कि उसको हम वहां नही रख सकते है। ऐसा हमारा विचार नही है कि सारे का सारा साफ कर दिया जाए या वहां कुछ नही रह सकता है। ऐसी बात नही है। हम देखेंगे जिस प्रकार के हवाई जहाज चलते है, उस प्रकार की व्यवस्था जहां जहां जरूरी है वहां वहां हम करें। एनेबलिंग प्राविजन हमारे पास है ताकि हम यह कर सकें। इसमें शंका की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिये।

16.00 *Hrs.*

Shri Lakshmanan blamed us for being somewhat slow in bringing forward this legislation. Somebody else from the Jan Sangh raised the same point. As I said, the Bill was last amended in 1960 and during the last 12 years there has been a lot of new development in aviation, and if they turn their minds back to 1960 they would find that the planes now operating had not come then. Therefore, it is only when new technological developments take place that we are forced to keep pace with them.

श्री रुद्र प्रताप सिंह जी ने एयर इंडिया की प्रशंसा की है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। चित्रों के विषय में उन्होंने कहा है और चाहा है कि फोटोग्राफी जो है उसके ऊपर प्रतिबन्ध होना चाहिए आज भी हमारे एयरक्राफ्ट रूल्ज के तहत उस पर प्रतिबन्ध है। इस वास्ते इस मामले में कोई अधिक करने की आवश्यकता नही है।

बड़े जी ने भी वही बात कही है। बड़ी देर से आपने.......

श्री जगन्नाथ राव जोशी : कम्पेंसेशन की बात भी कही है।

डा० कर्ण सिंह : उन्होने कहा कि जो अभी बनी हुई बिल्डिंग हैं, उनका क्या होगा। वे भी इस में गवर्न होंगी। अगर एक एयरपोर्ट पर कोई बड़ी प्राचीन बिल्डिंग है और नई व्यवस्था के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि उसको हटाया जाए तब तो उसको हमें हटाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आवश्यक नहीं है तो हमें कोई जरूरत नही है कि हम हटायें।

SHRI R.V. BADE : So long as compensation is not given he should not be ejected. There should be a stay order.

डा० कर्ण सिंह : कम्पेंसेशन का बड़ा आधारिक प्रश्न है। पच्चीसवां जो एमेंडमेंट

है जो कम्पेंसेशन की व्यवस्था होगी, वह उसी के मुताबिक चलेगी। मैं कुछ नया नहीं कर सकता हूं। जो व्यवस्था कानून में है, उसके मुताबिक ही चलेंगे। ऐसी बात नहीं होगी कि हम कानून के बाहर कोई चीज करेंगे। उसके अन्दर ही करेंगे।

पांडे जी बे बड़ा दिलचस्प भाषण किया, जैसा बे करते हैं। उन्होंने बम्बई एयरपोर्ट के विषय में कहा। मुझे पता नही वह कब बम्बई गए हैं। बम्बई एयरपोर्ट को हम डेढ़ करोड़ रुपया लगा कर इम्प्रूव कर रहे हैं। उस में बहुत फर्क पड़ गया है। मुझे पता नहीं हाल ही में वह वहां गए हैं या नही। लेकिन काफी उसमें हमने उन्नति की है और उसको नया बनाया है। मैं सदन को बता दूं कि दिल्ली और बम्बई में हम बिल्कुल नए अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल्ज बनाने जा रहे हैं जोकि पांचवीं योजना में पूर्ण होंगे। कलकत्ते में तो एक बहुत सुन्दर अन्तर्राष्ट्रीय बिल्डिंग हमने बना रखी है। दिल्ली, बम्बई, मद्रास में हमने जो पुरानी बिल्डिंग्स थी, जो अंग्रेजों के वक्त से चली आ रही थीं, उनमें हमने काफी उन्नति की है। दिल्ली और बम्बई में हम बहुत सुन्दर और बहुत ही आधुनिक नए भवन बनायेंगे और मुझे आशा है कि जब बे बन जाएंगे तो सारे संसार में जो एयरपोर्ट टर्मिनल्ज हैं, उनसे किसी माने में हमारे टर्मिनल्ज कम नही होंगे, उनसे अच्छे ही होंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : जो जम्बो जैट या दूसरे हवाई जहाज हैं वे किस हाइट पर आते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि सन्तोष हो जाए। एयरपोर्ट से दस किलोमीटर का डिसटैंस हो तो वहां जम्बो जैट की हाइट कितनी रहती है ? क्या बीस किलोमीटर का होना जरूरी है?

डा० कर्ण सिंह : यह टैक्नीकल जानकारी तो मेरे पास नहीं है। लेकिन इकेओ ने जो बीस किलोमीटर रखा है वह देख कर ही रखा है। जम्बो जैट बहुत बड़ा और बहुत भारी हवाई जहाज होता है और बहुत दूर से नीचे आना आरम्भ कर देता है। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बीस किलोमीटर रखा है।

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill further to amend the Aircraft Act, 1934 be taken into consideration".

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That clauses 2 to 11 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 to 12 were added to the Bill.

Clause 1– (*Short Title*)

Amendment made:

Page 1, line 3, for '1971' *substitute* '1972' (2) (*Dr. Karan Singh*)

MR. CHAIRMAN: The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 1, as amended was, added to the Bill.

Enacting Formula

Dr. KARAN SINGH : I beg to move:

Page 1 line 1, *for* 'Twenty-second' *substitute* 'Twenty-third'. (1)

This is a verbal amendment. When the Bill was presented here, it was the 22nd year of the Republic, and it was 1971, but now we are in 1972, which is the 23rd year of the Republic, and this amendment seeks to make this verbal change.

MR. CHAIRMAN : The question is:

Page, 1, line 1, *for* 'Twenty-second' *substitute* 'Twenty-third'. (1)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

DR. KARAN SINGH : I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed"

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed"

श्री झारखन्डे राय (घोसी) : सभापति महोदय, जहां तक हवाई अड्डे पर तलाशी लेने का सम्बन्ध है, डा० कर्ण सिंह ने उस पर अपने विचार प्रकट किये है, लेकिन मै उन से सहमत नही हू। मै उन से फिर आग्रह करूंगा कि वह इस विषय पर पुनर्विचार करें।

कहा जाता है कि तलाशी का प्राविधान इस लिए किया गया है कि हवाई जहाजों का हाईजैकिंग न हो। मै समझता हूं कि डाक्टर साहब ने इस पूरे प्रश्न को एक टेकनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से देखा है, लेकिन इस मसले को पोलीटिकल एपरोच से देखना चाहिए। क्या सचमुच उनको विश्वास है कि आज के हिन्दुस्तान मे पालियामेंट का कोई मेम्बर, या कोई मिनिस्टर, या स्वयं वह कोई हाईजैकिंग करेंगे ? मैं समझता हूं कि ऐसा सम्भव नही है। हिन्दुस्तान में एक ही राजनैतिक विचारधारा के लोग शायद ऐसा कर सकते हों—जिन को नक्सलवादी कहा जाता या समझा जाता है और न उनका संसदीय पद्धति में तनिक भी विश्वास है। वे लोग लोक-सभा या राज्य सभा में आने वाले नही हैं, क्योंकि उनको विचार-धारा के अनुसार संसद् एक सुअर-बाड़ा है। ऐसी स्थिति में मैं नही समझता कि हिन्दुस्तान के किसी भी राजनैतिक दल का कोई संसद्-सदस्य किसी भी तरीके से हाईजैकिंग का काम करेगा। इस लिये मेरा निश्चित मत है कि अगर कोई संसद्-सदस्य अपना आइडेन्टिटी कार्ड दिखा दे, तो उसकी तलाशी कतई नही होनी चाहिए।

अभी हाल ही में यह नियम लागू किया गया है। मैंने बहुत दिनों तक हवाई जहाज से यात्रा नही की थी। 2 मार्च को जब मै इन्दौर जा रहा था, तो मुझे इसका अनुभव हुआ। मै अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता हू कि मुझे यह बात बहुत अपमानजनक मालूम हुई। खासकर मेरे जैसे लोगो के लिए, जो स्वतंत्रता सग्राम के सैनिक रहे है, यह बात बहुत ही आपत्तिजनक है। मंत्री महोदय स्वय भी उस दल मे है, जिसके सैकडों-हजारो लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उस ज़माने में जेलखाने में तलाशी लेने पर मारा-मारी हुई, विरोध, झगडे और अनशन हुए। अध्यक्ष महोदय को यह बात मुझसे ज्यादा मालूम है।

आज मुझे डा० लोहिया की याद आती है। उन के कई विचारो से भले ही मेरी सहमति न रही हो, लेकिन अगर आज डा० लोहिया होते, तो वह जरूर इस प्रश्न को लेकर सत्याग्रह करते। इस लिए मै चाहता हूं कि डा० कर्ण सिंह इस विषय पर पुनर्विचार करें। जैसा कि मैंने कहा है, अगर एम० पी० और एम० एल० ए० अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा दें, तो उन की तलाशी नहीं होनी चाहिए।

जहां तक शको-शुबहे का सवाल है, अखबारों में ऐसी खबरें अनेक अवसरों पर

निकली हैं कि मिनिस्टरों की कारें गांजा स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल हुई, या मिनिस्टरों ने ऐसे काम किये। ऐसे केसिज रेयर होते हैं। वे एक्सेप्सन या अपवाद होते हैं। उन को नियम नहीं बनाना चाहिए। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला पोलीटिकल तरीके से देखा जाये और इतना अपमानजनक नियम पार्लियामेंट के मेम्बरों पर लागू नहीं होना चाहिए। डा० कर्ण सिंह साहब अपवाद हैं। वह स्वयं जाकर बड़ी खुशी खुशी तलाशी दे सकते हैं मैं नही दे सकता हूं। मुझे इस से खुशी नहीं होगी। कोई जोर-जबर्दस्ती से तलाशी ले सकता है। अगर मै मारा मारी करूं, तो पीट दिया जाऊँगा। अगर मै सत्याग्रह करूँ तो हल्ला होगा। इस लिए यह नौबत नहीं आने देनी चाहिए कि हम सत्याग्रह करें।

मैंने खुद देखा है कि गत 2 मार्च को दो-तीन मिनिस्टर मेरे सामने पास हुए, लेकिन उनकी तलाशी नहीं हुई। डा० साहब अपवाद होंगे कि वह खुशी से, वालन्टेरिली तलाशी दे दें। लेकिन मै समझता हूँ कि यह नियम संसद्-सदस्यों पर लागू नहीं होना चाहिए। यह मामला टेकनिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। यह मामला पोलीटिकल है। अंग्रेजी राज के जमाने में तलाशी के प्रश्न पर झगड़े हुए हैं। वह स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। मेरा आग्रह है कि डा० साहब इस पर पुनर्विचार करें और इस नियम को खत्म कर दें।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): सभापति महोदय, मैं तलाशी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, मंत्री महोदय उस का जवाब देंगे। मैंने खुद डा० कर्ण सिंह को तलाशी दे कर जाते देखा है। लेकिन हमारे सामने यह सवाल नहीं है कि मंत्री तलाशी दें या नहीं। यह सही है कि किसी किसी जगह छोटे-छोटी जगहों पर, तलाशी बहुत रिगोरस होती है हमें इस पर एतराज नहीं। लेकिन जब पार्लियामेंट के एक मेम्बर को देश के साढ़े पांच-छः लाख लोगों का विश्वास प्राप्त है, तो मैं समझता हूं कि इस विभाग को भी उस की इनटेग्रिटी पर विश्वास करना चाहिए। जहां तक नक्सलवादियों का सवाल है, न वे पार्लियामेंट में आयेंगे और न हवाई जहाजों पर चढ़ने के लिए उनके पास पैसे होंगे।

डा० कर्ण सिंह: पैसे तो उन के पास बहुत होते हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी: जब मैं सुनता हूं कि देश में नये नये एयरपोर्ट बनेंगे, तो बड़ी खुशी होती है। लेकिन जहां पर कोई एयरपोर्ट का सवाल ही नहीं है, जहां हर चीज एयर में है, वहां कम से कम एक छोटी सी बिल्डिंग तो जरूर बना देनी चाहिए। मै नहीं चाहता कि कानपुर में जम्बो जेट उतरें। वहां छोटे हवाई जहाज जाते है। वहां न कोई पेड़ कटवाने की जरूरत है और न कोई बिल्डिंग गिराने की। कानपुर शहर बहुत अच्छा है। वहां गाय-भैंस जरूर हैं, लेकिन गिद्ध नहीं हैं।

बम्बई और दिल्ली में नये हवाई अड्डे बन रहे है। कभी ऐसा भी जमाना आयेगा, जब दूसरे देश हमारे एयरपोर्ट्स को देख कर रश्क करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कानपुर में कम से कम एक छोटी सी बिल्डिंग जरूर बन जाये, जिस में केवल तीन चार कमरे हों, ताकि वहां के लोगों को यह तसल्ली हो जाये कि कानपुर में भी हवाई अड्डा है। आजकल वहां हवाई जहाज जरूर उतरते हैं लेकिन वहां बैठने की जगह नहीं है।

[श्री एस० एम० बनर्जी]

मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कहता कहता हार गया, लेकिन डा० कर्ण सिंह वहा एक दफा भी नही आये। वह एक बार आ कर स्वयं देखे कि वहा क्या हालत है।

पहले हमारे यहा एक सर्विस थी—दिल्ली-कानपुर और लखनऊ-दिल्ली, जिस को सर्कलर सर्विस कहते थे। अचानक उस सर्विस को कट आफ कर दिया गया। पहले कभी किसी खास काम के लिए लखनऊ जाना होता था, तो 2 बजे चलते थे 6 बजे वापिस आ जाते थे। मंत्री महोदय उस के आकड़े मंगा कर देखें। उस से कोई नुकसान नही होगा।

मंत्री महोदय इस वक्त "हा" या "न" भले ही न कहे, वह सिर्फ यह कह दे कि यह मामला अडर-कन्सिडरेशन है तो मुझे यकीन है कि जरूर कुछ न कुछ हो जायेगा। कानपुर में कोई डर नही है। वहा किसी हवाई जहाज को नुकसान नही होगा। कानपुर शहर मे छोटी चिड़िया ही मिलेगी, बड़ी नही।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (शाजापुर) : सभापति महोदय, यह तो खुशी की बात है कि हमारे देश मे नये नये स्थानो पर अच्छी अच्छी किस्म के हवाई जहाज आ रहे है किन्तु इस के साथ-साथ हाईजैकिंग जैसी कुछ नई समस्यायें भी पैदा हो रही है जिन को रोकने के लिए यात्रियों की तलाशी लेने का नियम बनाया गया है। इस बारे मे कुछ माननीय सदस्यो ने आपत्ति उठाई है। मैं समझता हूं कि लोक-सभा और राज्य सभा के सदस्यो को तलाशी देने के बारे में इतना टची नही होना चाहिए। लेकिन मै सुझाव देना चाहता हू कि . . . . . .

श्री झारखण्डे राय चूंकि माननीय सदस्य कभी जेल नही गये हैं, इसलिए उन्हें मालूम नही है कि इस तलाशी लेने के विरुद्ध कितनी आपत्ति की जाती थी।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : जेल जाना माननीय सदस्य का एकाधिकार नही है। मैं गोआ जेल मे गया था, जहा तलाशी लेने का मतलब नगे खड़े होना पड़ता था।

मैंने कलकत्ता मे देखा है कि बाहर यात्रियों के बैठने के लिए जगह नहीं है, जब कि डिपार्चर लाउज मे काफी जगह है। लेकिन सिक्यूरिटी आफिसर ने कहा कि जब तक यह एनाउसमेंट नही हो जाती कि इट इज रेडी फार डिपार्चर, तब तक अन्दर नही जा सकते।

मैंने कहा कि अन्दर जगह काफी है, यहा बैठने के लिए जगह नही है, मैं आधा घटा, पौन घटा खड़ा क्यो रहू? आप यहा मौजूद है, आप चैक कीजिए हम को। हम अन्दर जा कर बैठेंगे। कहा नही। दिल्ली मे होते है तो वह छोड देते है डिपार्चर लाउज मे बैठने के लिए। लेकिन कलकत्ते मे हम को छोड़ा नही। और बहुत सी जगहे ऐसी है, जैसे बंगलौर है, बोइंग चलता है। वहा काफी पैसेन्जर्स आते है डिपार्चर लौंज है ही नही। वहा कम से कम आध घटा पौना घटा खड़े रहे बिना सिक्योरिटी चैक हो ही नही सकता। मद्रास में भी वही हाल है। डिपार्चर लौंज है ही नही। बोइंग चलता है, काफी पैसेंजर्ज होते है, आध पौन घंटे खड़े रहे बिना सिक्योरिटी चैक में जा ही नही सकते है और खड़े रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है खास कर वह जो सारी पैरेड करनी पड़ती है तो उस में तकलीफ होती है, बाकी कोई बात नही है। मेरा सुझाव है कि जैसे ही पैसेंजर आए, जैसे दिल्ली में छोड़ देते है डिपार्चर लाउंज में जा कर वह बैठ जाता है और अपने हिसाब से फिर वह जाए सिक्योरिटी चैकिंग के लिए, ऐसा प्रबन्ध हर जगह होना चाहिए।

दूसरी बात, जब मैं जम्मू गया था हाईजैकिंग होने के बाद तो वहां मेरा फाउंटेन पैन भी निकाल कर देखा। मैंने पूछा कि इसमें क्या बात है.. (**व्यवधान**) मैं टची बिल्कुल नहीं हूं। मैं जानना चाहता था कि आखिर फाउंटेन पैन में भी कोई ऐसी चीज होती है क्या? उन्होंने बताया कि हां, होती है। जो भी नियम बनते हैं उनके अनुसार सब को चलना चाहिये, मुझे इस में बिल्कुल आपत्ति नही है। बल्कि मैं मिनिस्टर इंचार्ज को बधाई देता हूं लेकिन जो भी नियम बनते हैं वे एक जैसे बनें ताकि किसी को शिकायत का अवसर न मिले। चैकिंग भी हो, सब कुछ हो लेकिन उस में किसी को असुविधा न हो। फाउंटेन पैन भी देखना है तो जरूर देखें। अमृतांजन की छोटी डिब्बी मेरे पास थी, उसको भी खोल कर देखा गया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि डिब्बी में आखिर कौनसी ऐसी चीज़ होगी जिससे हम हाईजैकिंग करेंगे? यह व्यवस्था की बात है।

दूसरी बात यह है कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं, हवाई जहाज में जो यात्री चलते हैं शाकाहारी, वे कम्पलीटली इग्नोर किए जाते हैं। मुझको तो कई बार प्रोटेस्ट करना पड़ा। हमारे सामने से सब नानवेजीटेरियन पूछते पूछते चले आते हैं और आध घंटे बाद फिर हमारा नम्बर लगता है। हम ने कहा कि या तो सीधे देते जाओ वेजीटेरियन हो या नान-वेजीटेरियन हो। हम तीसरे नम्बर पर बैठे थे लेकिन आधे घंटे तक हमें मिला नहीं। जो आते थे पूछते थे—नानवेजी-टेरियन? हम ने कहा नहीं। बस वह चले गए। मैंने कहा व्हाई डू यू इग्नोर? सब यात्री यात्री हैं आखिर।

श्री एस० एम० बनर्जी : हर हवाई जहाज में दो होस्टेसेज होती हैं—एक वेजीटेरियन होस्टेस, एक नानवेजीटेरियन होस्टेस ..... (**व्यवधान**) .....

श्री जगन्नाथ राव जोशी : अब एयर होस्टेसेज में भी नानवेजीटेरियन और वेजीटेरियन होस्टेसेज होती हैं यह मुझे मालूम नहीं क्योंकि इतने गौर से किसी की तरफ मैं देखता नहीं। तो मेरा एक सुझाव है। अभी मन्त्री महोदय ने कहा कि अधिक नहीं खाना चाहिए। मैं मानता हूँ, कम खाना चाहिए, किन्तु अच्छा खाना चाहिए। मैं जब देखता हूँ वेजी-टेरियन और नानवेजीटेरियन डिशेज दोनों साथ साथ आती हैं तो मुझे लगता है कि यहां भी जो खाना दिया जाता है वह ठीक नहीं दिया जाता है। या तो यह होता होगा कि चूँकि ज्यादातर विदेशी यात्री आते हैं उन के नानवेजी-टेरियन होने के नाते कोई भी कामर्शियल कन्सर्न उन की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, यह तो हो सकता है, लेकिन आखिर इस देश के अंदर भी जो यात्री हैं उनकी ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है।

तीसरी बात मुझे यह कहनी है जैसे अपने यहां एवरो जहाज चलते हैं और कई चीजें चलती हैं, आप ने बताया कि जब बड़े जहाज चलेंगे तब जाकर उसमें जगह ज्यादा लगेगी और बिल्डिंगें सारी बनेंगी। लेकिन जब पंचम पंचवर्षीय योजना-काल में होना है तो कुछ इनकी इंटी-ग्रेटेड प्लानिंग हो। कल जाकर कौन-सा ऐसा शहर है जो बड़ा बनेगा यह ध्यान रखा जाय क्योंकि पटना में बोइंग चलने लगा है, लखनऊ बोइंग जाने लगा है वाराणसी बोइंग जाने लगा है, जहां पहले जाता नहीं था, वाइकाउंट जाता था, तो आगे चल कर लोगों को ऐसा लगेगा कि अपने यहां पर एवरो की

[श्री जगन्नाथ राव जोशी]

जगह पर बोइंग चल पड़ेगा तो यह सारी बिल्डिंगें चली जायेंगी यह सारे पेड़ चले जाएंगे, यह उनके मन में पैदा न हो, इस दृष्टि से आगे चलकर आने वाले दस बीस सालों के अन्दर कौन सा शहर बड़ा बनेगा, कहां छोटे जहाज जाएंगे, कहां बड़ा जहाज जायगा, इसकी कुछ प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि केरल के क्षेत्र में काफी नारियल के पेड़ वगैरहा हो सकते हैं जो काफी ऊंचे होते हैं, तो आगे चल कर उनके मन में ऐसी कोई आशंका पैदा न हो, इसका भी ध्यान रख कर चलें तो अच्छा होगा।

SHRI C. M. STEPHEN (Muvattupuzha): I felt like speaking on this Bill when I heard a forceful plea being made by certain friends that as a category Parliament Members, as a class, should be above checking; in other words they should not be subject to checking for security purposes. I want to raise my voice against this contention, as that will be fundamentally wrong. Checking is taking place, not on the basis that every Indian is a hijaking person. Equality of treatment before law is the fundamental law of this country and if any Indian is liable to be checked, every Indian must be so. There is no insinuation that every Indian is a criminal. It is only in order to avoid danger that this precaution is taken. If a Member of Parliament is to be above such a liability, there are many other categories of citizens who are certainly above any suspicion. We have got professors, doctors and scientists. One may say that they must not be searched. There are Government officers, political leaders, trade union leaders etc. One may say that they must not be searched. If you are going to categorise people like that saying that they must not be checked, you are hitting against the fundamentals or basis on which our society and Constitution are functioning. It will be an insult to Members of Parliament if they are treated as persons not liable to be checked. According to me, Members of Parliament should be the first persons to offer themselves to be checked, and thoroughly checked, so that there may be no heart-burning among the others who are checked.

This Bill takes certain precautions for the convenience of the passengers, and particularly of the foreign passengers. Birds have to be kept away from the airport. The aeronautical service and industry in our country have advanced so much, but there are certain areas in this country which can only look with envy because in their places aeronautics has not developed to that extent. We have very often raised the cases of many places, the case of certain airports in my State like Cochin and Trivandrum. Trivandrum is the capital of a great state with two crores of people, literate, advanced, cultured, industrially coming up, with Kovalam tourist resort nearby, but you find that in place of an airport, if I may say so we have a hut where more than 50 people cannot stand, let alone sit. Such a miserable place in the capital of a State. As I fly from there and come to Hyderabad, I find a huge palace being opened. My congratulations to my friends of Andhra Pradesh and to Dr. Karan Singh who went down to open that great airport. But there was a magnificent airport there, and in the place of that, a new airport is coming up. But in Trivandrum, the capital of a State, it is so small that it cannot be called an airport.

Cochin is the hub of industrial activity of Kerala, where the ship-building yard is coming up. It is the industrial capital of Kerala so to say. Tourists are pouring in, industrialists are coming and going, but they do not have any facility. They will have to fly all the way to Trivandrum and then go back to Cochin. Cochin is very much advanced, but the people of Cochin have not seen a Boeing because it cannot land there. The extra solicitude evinced by the Bill for the convenience of the passengers must be applied equitably and on an equal basis to everybody. When I come from Cochin to Delhi, I take my plane at 10 O'Clock in the morning and I land in Delhi at 10.30 in the night. What is the justification? Why should I travel by plane? When the flying time is onyly 2½ to 3½ hours, what is the justification in asking me to spend twelve hours to reach the capital of the country?

If a foreigner loses his luggage and has to the police station, he will lose two hours

You want to avoid it. If that is the solicitude for a particular traveller, should you not show this much of solicitude to those who are coming from Cochin to Delhi?

That solicitude is not given. If removal of carcasses and birds and chopping of trees is what is needed, we can give the assurance that that will be available more in our State than anywhere else. Therefore, I would repeat what has been already repeatedly stressed on the floor of ths House and in representations submitted by responsible citizens that Kerala be given an airport in the heart of the State, so that people who want to go down to the Kashmir of the southern tip of India may have the facility to go and come back in comfort. Let not the tourist traffic be stifled. Let not persons trying to reach Kerala take the vow that they will never go there again because they can never go and come back in comfort. The consideration and solicitude which the minister demonstrated while moving the Bill on behalf of the travelling public, whether foreign or domestic, may kindly be extended to this poor State also. With the same spirit with which I said that there should be no exemption to Members of Parliament with respect to subjecting them to inconvenience, with that same spirit I say, there should be exemption to Kerala with respect to subjecting them to these hardships and difficulties. With these words, I support the Bill.

SHRIMATI SHEILA KAUL (Lucknow): I am very happy to learn that the hon. Minister has plans to improve the Bombay airport, because it needs a lot of brushing up. Last year, in September I happened to arrive at the international airport at Bombay from London. The time was about 4 O'clock in the morning and with me there were a few foreign ladies also. We all went into the airconditioned international lounge. But. when we moved into the toilet, I am sorry to say that there was a big woman lying on the floor and we had to jump over her to get near the taps. She was on duty, but she was sleeping there and we did not disturb her. It does not matter what happens to us, Indians but with people from abroad, we have to be a little careful. These ladies washed their hands and they wanted to dry them up. In other international airports, there are dryers. You just switch it on and your hands are dried. But in Bombay airport there was no dryer; there was not even a towel and it was very difficult. I told the ladies, "Please take your hankies out and dry up your hands; I am sorry". These are little things which do matter in international aspects of living. The lounge should be a little more cooler; it should be better air-conditioned. It should have some carpet or durry on the floor. It was just bare when I saw it. So, if we could do something about the international lounge, that would be quite helpful.

श्री वीर भद्र सिंह (मंडी) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने जो विधेयक पेश किया है, मैं उस का समर्थन करता हूं। जिन उद्देश्यों के लिये वे यह विधेयक लाये हैं, उनके बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं।

अभी हवाई अड्डे के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया। मुझे यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि बम्बई और दिल्ली मे नये इन्टरनेशनल हवाई अड्डे बनाने का सरकार का विचार है। मैं समझता हूं कि अभी तक हमारे देश मे एक भी ऐसा हवाई अड्डा नही है जोकि दुनिया के अच्छे हवाई अड्डों का मुकाबला कर सके। मुझे खुशी है कि आप इस कमी को बहुत जल्दी पूरा करने जा रहे हैं, चाहे वह पांचवी पंच वर्षीय योजना में ही क्यों न हो। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां आप बड़े-बड़े शहरों के हवाई अड्डों की तरफ ध्यान देते हैं, वहां इस बात की भी जरूरत है कि दूसरी जगहों पर जो हवाई अड्डे हैं, उन की तरक्की के बारे में भी ध्यान दें। अभी कानपुर के बारे में श्री बनर्जी ने जिक्र किया। त्रिवेन्द्रम और दक्षिण के अन्य हवाई अड्डों के बारे में एक अन्य माननीय सदस्य ने जिक्र किया, इसी तरह से देश के अन्य हवाई अड्डों के बारे में भी कहा जा सकता है। मैं इस बात को मानता हूं कि इन्टरनेशनल एयर पोर्टों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाना जरूरी है,

[श्री वीर भद्र सिंह]

क्योंकि वहां टूरिस्ट्स आते हैं, इन्टर-नेशनल सर्विसिज आती है, विदेशी मुद्रा का भी सवाल है—उन की तरफ ध्यान जाना चाहिये, लेकिन उस के साथ साथ हमारे देश के अन्दर जो अन्य हवाई अड्डे हैं, उन की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये, उन के प्रयोग करने वाले को भी वही सहूलियतें मिलनी चाहियें जो विदेशी पर्यटकों को मिलती हैं।

कुछ साल पहले सरकार ने यह फैसला किया था कि कुल्लू में हवाई अड्डे का भवन बनाया जाय। आप जानते हैं कि कुल्लू का एक खास महत्व है, न केवल वह हिमाचल का एक प्रमुख शहर है, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी उसका बहुत महत्व है। सारे देश से टूरिस्टस कुल्लू को जाते हैं। वहां पर हवाई अड्डे के भवन बनाने के लिये सरकार ने कई साल हुए जमीन ली थी, लेकिन अभी तक उस को बनाने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया। जब मैं वहां जाता हूं, वह क्षेत्र मेरे चुनावक्षेत्र में है, जिन लोगों की जमीनें ली गई है, वे कहते हैं कि या तो हवाई अड्डा बनाइये या हमारी जमीन हमें वापस कीजिये ताकि खेती-बाड़ी कर सकें। इस समय वहां सिर्फ घास पैदा करने के और कोई काम नहीं हो रहा है।

3–4 साल पहले मंत्री जी, वहां पर जो भवन बननेवाला था, उसका शिला-न्यास करने आ रहे थे। मैं भी आप के स्वागत के लिये वहां मौजूद था। लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण आप का जहाज वहां नहीं उतर सका; लेकिन उसके बाद वहां जाकर शिलान्यास करने के लिये आप ने कोई कदम नहीं उठाया। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आनेवाले गर्मी के सीजन में आप कुल्लु पधारें और जो काम आप उस वक्त पूरा नहीं कर सके थे, उसको अब पूरा करें ताकि वहां पर जल्द से जल्द हवाई अड्डा बन सके और न केवल पर्यटकों को उस की सुविधा मिले, बल्कि जिस काम के लिये जमीन ली गई थी उस जमीन का सही उपयोग हो सके।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं। आप के मंत्रालय ने फैसला किया है कि जितनी भी राज्यों की राजधानियां हैं, उनमें एअर-सर्विस चलाई जायेगी और प्रायः मुल्क के सभी कैपिटल्ज से हवाई सर्विसें हैं। लेकिन शिमला एक ऐसा स्थान है जहां पर कोई हवाई सेवा का प्रबन्ध नहीं है। मै मानता हूं कि शिमला पहाड़ी इलाका है, वहां पर हवाई अड्डा बनाने में कोई कठिनाई हो सकती है, लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नही हूं कि वहां पर कोई हवाई सर्विस नही चल सकती या एअर-पोर्ट नही बन सकता। अगर इस चीज को मान लें तो वहां की तरक्की ही नही हो सकती, यह एक गलत भावना है।

शिमले में एक गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया प्रैस है, जो कि बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का है। उस के लिये जब हम सम्बन्धित मंत्री महोदय के पास गये और कहा कि उस को बढ़ाइये, उस का एक्सपैंशन कीजिये तो हमें बताया गया था कि पहाड़ में उद्योग नहीं चल सकता। वहां पर जमीन नहीं मिल सकती, दूसरी सुविधाएं नहीं है, एक्सपैंशन नहीं हो सकता—यह कैसी मनोभावना है। अगर पहाड़ में उद्योग नहीं चलायेंगे, हवाई सर्विस नहीं चला सकते, एअर-पोर्ट नहीं बन सकता, तो पहाड़ की तरक्की कैसे हो सकती है? इस बारे में सोचने की आवश्यकता है।

इसलिये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप इस के बारे में जल्द से जल्द फैसला करें—शिमला के लिये हवाई सर्विस चलायें, वहां पर हवाई अड्डा बनायें, और कुल्लु में एरोड्रोम के भवन बनाने के लिये जल्द से जल्द कदम उठायें ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : सभापति महोदय, फिर से बहुत सी लाभप्रद बातें इस डिबेट में निकली हैं । श्री झारखण्डे राय जी से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि अंग्रेजों के वक्त में जो तलाशी की बात थी, हालांकि शब्द तलाशी ही है, लेकिन उस समय उस का दूसरा अर्थ था । अंग्रेज हम लोगो को दबाने के लिये तलाशी लेते थे, हमारे राष्ट्रीय जीवन को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिये तलाशी लेते थे, हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए तलाशी लेते थे । लेकिन हम जो तलाशी ले रहे है, उस का उद्देश्य है कि हमारे हवाई जहाजों की सुरक्षा हो, हमारे देश के हितो की सुरक्षा हो । इसलिये मैं उन से विनम्र प्रार्थना करूंगा—वह बड़े पुराने देश भक्त हैं, हमारे पैदा होने से पहले ही उन्होने अपना देशभक्ति का कार्य प्रारम्भ कर दिया था, जैसा स्टीफन साहब ने कहा है अगर हम एक बार ऐसा आरम्भ कर दें कि संसद सदस्यों को छूट दे दें तो उसके बाद स्टेट्स के लेजिस्लेटर्स आ जाते हैं । वे कहेंगे कि हम को भी छूट मिलनी चाहिए । फिर म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर आते हैं । वे भी कहेंगे कि हमारे लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं ? उस के बाद गवर्नमेंट के कर्मचारी आ जाएंगे । वे भी कहेंगे कि हम को क्यों चेक कर रहे हैं ? इस प्रकार इस से बड़ी कठिनाई होगी । लक्ष्मण रेखा हम कहां पर खींचेंगे? मैं एक प्रार्थना और करूंगा कि यदि हम इस को आरंभ कर दें और आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर जाएं तो आप जानते हैं कि जो ऐन्टी सोशल एलीमेंट्स हैं जो विदेशी स्पाईज हो सकते हैं उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड को फोर्ज करना कोई बड़ा कठिन नही होगा । छोटे मोटे एयरोड्रोम में एक आदमी पहुंच जाय और कहे कि मैं एम० पी० हूं यह आइडेंटिटी कार्ड है ....(व्यवधान).....

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : फोटो भी तो होगा ।

डा० कर्ण सिंह : फोटो के लिए भी कोई कठिन बात नही है । तो मैं कहूंगा कि जब तक यह स्थिति बनी हुई है और इस में हमें कोई प्रसन्नता भी नही होती बल्कि बड़ा भारी कष्ट और अत्यन्त असुविधा एयर लाइन्स को होती है वे रोज चिल्लाते हैं कि यह जो सर्च है इससे छुटकारा दिलवाइए । लेकिन जब तक ऐसी स्थिति है, आज भी हमारी विजय हुई है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि हमारे देश के ऊपर से खतरा टल गया है और आप को याद होगा जब जम्मू से जहाज हाइजैक हुआ था तो बात कितनी दूर तक गई थी, आज भी ऐसी स्थिति है कि हमें बहुत सावधान रहना है । इसलिए मैं संसद सदस्यों से केवल हाथ जोड़ कर जो उनको कष्ट होता है उसके लिये केवल क्षमा ही मांग सकता हूं और उनसे यह प्रार्थना कर सकता हूं कि कुछ देर और कष्ट सहने का कष्ट करें ।

श्री बैनर्जी को शायद यह नहीं पता कि मैं वास्तव में कानपुर एक दिन गया था । उन को अभी मैंने बताया नहीं । ....(व्यवधान).... मैंने पहले ही कहा कि हम जहां भी जाते हैं । हम जबर्दस्ती लोगों से कहते हैं कि हमारी तलाशी ले लो ....(व्यवधान)......

श्री एस० एम० बनर्जी : दूसरे किसी मंत्री को सर्च करवा दीजिए हम लोगों के सामने।

डा० कर्ण सिंह : मैं कानपुर गया था। वास्तव में बड़े ही दुख की और शर्म की बात है कि इतने बड़े शहर में जहां दस लाख से ऊपर की जनसंख्या हो 25 वर्ष की आजादी के बाद भी इतनी दुर्स्थिति और दुर्दशा हो। मैं वास्तव में वहां जा कर बहुत लज्जित हुआ। पाच वर्ष मैं यहा मिनिस्टर रहा, बहुत कुछ बनाया दिल्ली इत्यादि में लेकिन मैं अपने आप को किसी प्रकार से विजयी नही मान सकता जब कानपुर जैसे स्थान में ऐसी स्थिति हो। मैने वहां से आते ही प्रबन्धकों से कहा और उन्होंने जा कर जमीन ले ली है और मैं आश्वासन देता हूं कि बरसात के बाद काम आरम्भ हो जायगा। चतुर्थ योजना के अन्दर ही एक छोटा सा नया भवन वहां निर्मित हो जायगा।

जोशी जी ने बहुत कुछ बाते सेक्योरिटी के संबंध मे कही। उन्होंने एक बात कही, वह ठीक भी है कि बहुत से टर्मिनल्स में सर्च करने की व्यवस्था नही है। जब एयरपोर्ट बने थे उस समय सर्च की कोई ऐसी बात थी नहीं। तो बहुत कष्ट होता है लोगो को। बरसात आने वाली है हम बहुत दुखी है इस सर्च से। यही हम यत्न कर रहे हैं, कहीं परदा लगाते है, कही छोटी सी दीवार बनाते हैं, कही कुर्सिया लगाते है। तो बहुत ही कष्ट है हमको। लेकिन मुश्किल यह है कि या तो सारे एयरपोर्ट्स को नया निर्मित करें तब जा कर स्थान बनाएं, तो हम कोशिश कर रहे है कि कुछ ऐडजस्टमेंट किया जाय कि लोगों को सर्च करने के बाद कही बैठने और सिर छिपाने की जगह हो। ऐसी हमारी कोशिश है।..... (व्यवधान) कहीं हुआ है, कही नही हुआ। फिर हम कहेंगे कि इस चीज को देख लें। फाउन्टेन पेन और कैमरा की सर्च करना हमने छोड़ दिया है। वैसे यंत्र तो बड़े अद्भुत बने हैं लेकिन फाउन्टेन पेन की सर्च करना हमारे लिए संभव नहीं है।

शाकाहारी भोजन स्वादिष्ट नही है, यह सुनकर कष्ट हुआ। मैंने पहले भी कई बार कहा है एयर लाइन्स से कि जो शाकाहारी है उन को किसी प्रकार की शिकायत का मौका नही मिलना चाहिये। मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी भी ऐसी शिकायत है। मै फिर से इस बात को देखूगा और यत्न करूगा कि यह शिकायत न रहे।

Then, my hon. friend, Shri Stephen, apart from his remark about searching, mentioned about the service to Kerala. Trivandrum is a capital of one of our great States and we have, therefore, extended Boeing service to Trivandrum although, strictly speaking, the traffic potential perhaps does not justify it. But for this very purpose that it is a capital city we have extended it to Patna, Lucknow and so on, we have extended to Trivandrum.

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam): It has been represented to you already that by extending Boeing service to Trivandrum, you are not going to get enough passengers and that it will be commercially not a profitable concern. If on the other hand, the plane had touched Cochin and then Trivandrum, then it would have been found commercial proposition.

DR. KARAN SINGH: I may explain that. I may clarify a point which was raised by many hon. Members. It is not our intention to concentrate only on international airports. In fact, four international airports as a result of the Bill passed in this House during the last session are from the 1st of April going over to the International Airport authorities. We have 90 and odd airports in our country and we operate

services to 70 of them. We are trying to draw a list of priorities. I am trying to give first priority to State capitals because, after all, in a federal structure, State capitals have importance of their own. A mention was made of a very nice building in Hyderabad. I am giving first priority to State capitals of the country.

I am giving second priority to places which are frequented by tourists. For example, Agra is not a State capital; Khajuraho is not a State capital. A lot of tourists go there. This is very important.

The priority No. 3 is given to other places which have a lot of commercial importance and so on.

I can assure the House that with the limited resources at our command, we will pay attention to other places also. It is not as if they will be neglected.

Cochin is a very special case. Cochin is not a State capital. But evidently it is the main hub as far as traffic in Kerala is concerned. Unfortunately, the present airport in Cochin is situated in such a manner that there are moving docks and railway lines and all that. I have sent three different teams there. I am told it is simply not possible to extend the present airport. I would have very much liked to do it. The Indian Airlines is very keen to run Boeing service there because they will make a lot of money. But it is simply not possible to extend the airport there to make it fit for Boeing service. What is the alternative? The only alternative is to develop an entirely new airport in Cochin. That is a thing which costs a lot of money. I have already taken up one major new airport at Calicut at a cost of Rs. 1½ crores. My total budget for tourism, for developing airports, in this Plan, was about Rs. 2 crores originally which was increased to Rs. 5-6 crores. Now, a sum of Rs. 1½ crores is already to go for an airport at Calicut. Therefore, I am afraid we will have to wait a little before we can take up a new full-fledged airport at Cochin.

DR. HENRY AUSTIN : It is reported that the Kerala Government has taken a decision that they will acquire all the necessary land for the airport and give it to you. That is for an alternative site at Edakattuvayal. One of your surveys has already proved the suitability of the place. It is now seen that this place is an ideal place for military airport also. In the light of this, would you, therefore, avail yourself of this facility offered by the Kerala Government to develop a new airport at Edakattuvayal which could serve both military and civil purposes? Would you consider that?

DR. KARAN SINGH : If the Kerala Government would be good enough to acquire land and give it to us, it will certainly help. I do not want to give any assurance that we will complete it within a certain time. But certainly the Kerala Government would be very well advised to acquire land and give it to us so that it will be possible for us then to plan it on a more firm basis. I hope, this offer really takes concrete shape.

Shrimati Sheila Kaul mentioned rather an unhappy experience that she had in Bombay airport. I am sorry about that. In fact, toilets are one of our weak spots throughout the country. Wherever I go, the first thing that I inspect is a toilet. Everything else is kept clean but toilets are, unfortunately, kept dirty. I have tried my best to get special staff sanctioned so that the toilets are kept clean. I am really very mortified to learn that there is a charge on using toilets in the international airport. I wish the hon. Member had brought it to my notice earlier and I would have taken immediate action. But I can assure her that we are fully aware of this problem. *(Interruption)*

About the question of payment in some places, I was in Bombay recently; my colleague, Dr. Sarojini Mahishi, and I were inspecting the Bombay Airport and somebody brought up this point: when a foreign tourist comes, where is he going to bring 25 Paise from to pay? We have passed orders on the spot that, at least before they are cleared by the Customs, they should not be asked to pay when they arrive. It is absurd to expect a foreigner to bring a 25 Paise coin with him from somewhere because he wants to go into the toilet. That is something we are looking into.

[Dr. Karan Singh]

Shri Virbhadra Singh mentioned one or two points. As I said, I am, in fact, sorry that Kulu has not been taken up so far. The land has been acquired. There was some dispute. If I remember correct, with regard to the land—its acquisition, its location and so on. Some problem is there. I am myself hoping to vitsit Kulu this summer and I will look into the matter myself and see what can be done.

उन्होंने कहा कि वह पहाड़ के रहने वाले है और पहाड़ मे उन्नति होनी चाहिए । आप जानते है, अध्यक्ष महोदय, मै स्वयं पहाड़ का रहने वाला हूं, जितना उनको प्रेम है पहाड़ से उससे ज्यादा मुझे पहाड़ से प्रेम होगा । इसलिए हो सके तो मै मैदान से लेकर उन्नति पहाड़ में करवाने का यत्न करूंगा ।

MR. CHAIRMAN : The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

16.52 *hrs.*

MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY BILL

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE (SHRI A. C. GEORGE) : I beg to move* :

"That the Bill to provide for the establishment of an Authority for the development of the marine products industry under the control of the Union and for matters connected therewith, be taken into consieration."

The marine products industry is one of the few industries which have maintained a steady but heartening rate of growth in export earnings over the last few years. From a meagre export of Rs. 4 crores during 1961-62, it rose to Rs. 17 37 crores during 1966-67, the year of devaluation, and it was of the order of Rs. 35 crores in 1970-71. This year we are hopeful of attaining, and even going beyond, the target, and it is estimated that this year our exports will be to the tune of Rs. 39 crores.

Even though India has come up from a low position in the world shrimp market to occupy the second place in the list of exporting nations recently, yet it has touched only a fringe of the vast potentialities available for the industry. Shrimp, at present, constitutes the principal item of export, *i.e.*, about 85 per cent, from India in frozen, canned and dried forms followed distantly by frozen lobstertails. Besides effecting an increase in the volume and value of exports of shrimps and lobsters, there is a considerable scope for exporting other varieties of fish and fish products like tuna, sardines, pomfret, Bombay duck, bream, carabs and eels, etc.

Seafoods have assumed great importance as an export-oriented industry on account of the increasing overseas demand. According to a survey conducted by the Indian Institute of Foreign Trade in 1969-70, it was estimated that our exports of marine products could be increased to about Rs. 61 crores by 1973-74 and to about Rs. 118 crores by 1978-79. For this, certain positive steps are to be taken. The achievement of this level of export performance would necessitate the development of this industry on a sound footing at a much faster rate than hitherto realised. It is also essential to strengthen the supply base by mobilising and intensifying efforts in the area of deep sea and off-shore fishing and effecting improvements in the processing methods and marketing mechanism.

The marine products industry is at present not subject to any discipline or regulation. This has resulted in an uneven and unhealthy development of fish processing sectors thus affecting adversely its economic operation and better realisation of the unit value of export products. Such an unregulated growth has also led to problems connected with inadequate facilities on shore relating to fresh water, power and timely internal transport and shipping arrangements.

The Estimates Committee of the Lok Sabha in its Forty-third Report on Fisheries Development (April 1968) has referred to the adverse effects of the indiscriminate growth of the industry on the trade as well as in the foreign markets and to the fact that under these circumstances this industry

* Moved with the recommendation of the President.